राजस्थान–सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 253 / 2021

बउनवान

मोहनलाल पुत्र रामनाथ जाति मीणा निवासी बोरदा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद
(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :– 1– श्री रघुवीर प्रसाद मीणा अभिभाषक (अपीलांट)
2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 04.01.2022

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, हरनावदाशाहजी के प्रकरण संख्या 539 / 2015 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में तहसीलदार छीपाबड़ौद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2015 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम बोरदा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2072 मे खसरा नम्बर 291 / 102 की रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 60 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 125 /– रूपये तावान राशि से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 06.09.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं विवादित आराजी की वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब की गई। जिनके प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस [illegible] किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर [illegible] बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भूल की है। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है क्योंकि अतिक्रमित आराजी अकावद डैम के डूब क्षेत्र में तथा अकावद डैम में [illegible] हो चुकी है। अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान भी [illegible] किया नहीं है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि निर्णय दिनांक 12.12.2015 न्यायालय नायब तहसीलदार, हरनावदाशाहजी निरस्त फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan
Bairwa
Date: 2022.03.14 15:51:19 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी प्रोपर तामील करवाई गई। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी सम्वत् 2070 रबी में इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 1227/14 में पारित निर्णय दिनांक 30.04.2014 की पालना में दण्डित किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा मौके से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2072 खरीफ में एवं वर्तमान में भी इसी आराजी पर किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। प्रकरण में अतिक्रमित रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा अधिक है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी प्रोपर तामील करवाई गई। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, हरनावदाशाहजी में अनुपस्थित रहा है। हम पेरोकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत है कि अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, हरनावदाशाहजी के प्रकरण संख्या 539/2015 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक **04.01.2022** को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.03.14 16:51:19 IST
Reason: SelfAttested